राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, सभी बालक, विद्यार्थी व नागरिक बन्धुओं से अपेक्षा करता है कि संविधान में वर्णित मुख्य कर्त्तव्य (भाग 51क) का संकल्प लें। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ और कर्त्तव्य निष्ठा से ....

मैं

आदर करूँगा	-	संविधान का, राष्ट्रध्वज का एवं राष्ट्रगान का।
पालन करूँगा	-	राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का।
रक्षा करूँगा	-	देश की, भारत की एकता-अखण्डता और प्रभुता की एवं वन, झील, नदी और वन्य जीव की।
सेवा करूँगा	-	राष्ट्र की।
त्याग करूँगा	-	स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का एवं धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव का।
दयाभाव रखूँगा	-	प्राणी मात्र के प्रति।
दूर रहूँगा	-	हिंसा से।
संरक्षा करूँगा	-	सार्वजनिक सम्पत्ति की।
विकास करूँगा	-	वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, मानववाद का, सुधार की भावना का।
निर्माण करूँगा	-	भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का।
प्रयास करूँगा	-	व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का।

‘‘अधिकारों के प्रति जागरुक रहो, कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो।’’

-अध्यक्ष : जस्टिस एन.के. जैन
(पूर्व मुख्य न्यायाधिपति-मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट)

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जनहित में प्रसारित
www.rshrc.nic.in   www.herenow4u.de

Human Rights
Legal Literacy & Awareness Series - 18/2009

मानवाधिकार और कर्तव्य

(आर्टिकल-51ए के सन्दर्भ में)

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवाद/शिकायत पर आयोग द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हो?

यदि हाँ, तो कृपया अपने परिवाद/शिकायत में यथासंभव निम्न सूचना अवश्य अंकित करें :-

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पता/गाँव/शहर, डाकघर, पुलिस थाना, जिले सहित।

(ख) जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

(ग) शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित)।

(घ) घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते, यदि ज्ञात हो तो।

(ङ) घटना की पुष्टि करने में दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो तो।

(च) यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसका विवरण।

(छ) क्या आपने पूर्व में इस आयोग या राष्ट्रीय आयोग में इस विषय में कोई शिकायत की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं परिणाम।

(ज) क्या इस मामले में किसी फौजदारी/दीवानी/राजस्व अदालत में या विभागीय कोई कार्यवाही हुई या लम्बित हैं? हाँ, तो उसका विवरण।

नोट : कृपया परिवाद/शिकायत पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ चिन्ह लगाना नहीं भूलें।

परिवाद/शिकायत अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जयपुर के पते पर भिजवाएं।

आयोग का संगठनात्मक संरचना (06.07.2005)

1.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति जगतसिंह	सदस्य
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य
4.	श्री पुखराज सिरवी	सदस्य
	श्री एन.आर. यादव	सचिव
	श्री श्यामलाल गुप्ता	उप-सचिव

आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव है। आयोग के अन्वेषण कार्य के लिये महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त है।

सम्पर्क सूत्र :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

टेलीफोन : 0141-2227868 (अध्यक्ष)

2227565 (सचिव), 2227738 (फैक्स)

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व मुख्य न्यायाधिपति मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न हैः–

1. सन्थारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) **www.herenow4u.de (Eng.)**
2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
3. अणुव्रत व मानवाधिकार
4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
5. बालकों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। *(पुनः प्रकाशित)*
7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
10. आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
12. महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। *(पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)*
13. दलितों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
15. गिरफ्तारी (ARREST) *(पुनः प्रकाशित)*
16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ *(पुनः प्रकाशित-2008)*
20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. **www.rshrc.nic.in**
21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
24. Cyber Law.
25. Copy-right Law.
26. e-governance and Court Automation.
27. Article-14 Right to Equality.
28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
30. Directive Principal of State Policies.
31. Public Interest Litigations & others.

मानवाधिकार और कर्तव्य

(आर्टिकल–51ए के सन्दर्भ में)

*न्यायमूर्ति एन0 के0 जैन
अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का इसके गठन से ही यह प्रयास रहा है कि राज्य की आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के साथ–साथ लोक सेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया जाये। यह सही है कि प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकारों के हनन से बचाने के लिए यह आयोग बनाया गया है। अब तक राज्य के लोक सेवकों की यह सोच थी कि यह आयोग उन पर थोपा गया है, परन्तु आयोग द्वारा यह बताने पर कि यह आयोग कोई समानान्तर कोर्ट/सरकार नही है, अपितु यह तो लोक सेवकों से अपने–अपने कार्य निष्ठा और संवेदनशीलता से करने की अपेक्षा करता है और आयोग तो सुशासन में ही मददगार है। अब उनकी सोच में धीरे–धीरे बदलाव आ रहा है।

आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में सम्बन्धित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर logical conclusion से उनका निस्तारण करने के साथ–साथ समय–समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार–विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि समृद्व लोग तो अपने अधिकारों की रक्षा करने एवं मानवाधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम है, किन्तु हमें हर वर्ग, खास तौर पर पीडित, दलित एवं कमजोर वर्ग के साथ–साथ बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। इसलिए हमें अहम् भाव नहीं रख कर सेवा भाव, मानवीय दृष्टिकोण, संवेदशीलता एवं सद्भावना से कार्य करना होगा।

यही बात हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना, लोगों की मूल भावना और लोकतंत्र की मंशा "of the people, for the people, by the people" के अनुरूप भी है, जिसमें देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ–साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। एक सुदृढ लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते है–

विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तीनों ही स्तंभ अपने–अपने संविधान में वर्णित कार्य क्षेत्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। इनमें कोई छोटा–बडा नहीं है। साथ ही, लोकतंत्र की सुदृढता के लिए प्रेस भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है व उसकी अहम् भूमिका रहती है।

जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिये चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा। अतः सभी वर्ग के लोगों से मानवाधिकार आयोग की अपेक्षा है कि वे मानवाधिकारों का संरक्षण करें। यह किसी का अधिकार है तो किसी का कर्तव्य। दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी और तभी हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने में सहायक होंगे। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या–एक से तीस तक के सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के हमारे संविधान में भी समाविष्ट कर लिए गये थे। इस घोषणा पत्र के आधार पर व्यक्ति के मानवाधिकारों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया। हर प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल–51ए के माध्यम से जोडा गया। तीन दशक बीत जाने के बावजूद इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है।

कहा जाता है कि Ignorance of law is no excuse परन्तु हर किसी को कानून की सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विविध कानूनी विषयों पर लेख /कई बुकलेट्स प्रकाशित की गई है। जिनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य की विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों व कई व्यक्तियों द्वारा अपने प्रियजनों की याद में पुनः प्रकाशित करवाया है। कुछ बुकलेट्स जैसे महिलाओं के कानूनी अधिकार,, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, *HIV/AIDS, Human Rights* की 70000 पुस्तकों का प्रकाशन कर आमजन को वितरित किया। इस पुनीत कार्य से प्रदेश के नागरिकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आयोग उनके इस कार्य की भूरि–भूरि प्रशंसा करता है। आयोग द्वारा प्रकाशित 'त्रैमासिक न्यूजलेटर' के माध्यम से भी आयोग के कार्यकलापों की अधिक से अधिक

जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन 60 वर्षो में देश ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, और अभी बहुत कुछ करना शेष है। लेकिन अधिकारों के बारे में पिछले कुछ वर्षो से ही चर्चा हो रही है।

राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक आर्टिकल– 51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हें अपने जीवन में पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ उतारे, तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति देश का सच्चा और अच्छा नागरिक बनेगा तथा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भावना प्रबल होगी।

मानवाधिकारों के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल– 51ए की मंशा के अनुरूप लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए आयोग द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत् कई स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं भी अपने कार्य के साथ–साथ इस जागरूकता कार्यक्रम में जुडकर लोगो को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से ही यह संकल्प दोहराना अनिवार्य होना चाहिए ताकि उनमें बाल्यावस्था से ही देश एवं संविधान के प्रति आदरभाव एवं अच्छे संस्कार बनें । साथ ही, कर्तव्यों के प्रति समर्पितता की भावना जागृत होगी। करीब 62 संस्थाओं द्वारा इस प्रारूप के 20000 से ज्यादा कलेण्डर्स और करीब 80000 के करीब पेम्पलेट्स छपवा कर राज्य भर में अपने कार्यक्रमों के दौरान बंटवाने बाबत् अवगत कराया है। आयोग को पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के प्रचार–प्रसार से विद्यार्थियों तथा लोक सेवकों के साथ–साथ आमजन में भी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण एवं देश के प्रति त्याग की भावना का अधिक से अधिक विकास होगा।

मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ

भारतीय संविधान के आर्टिकल–51ए में हमें संविधान का आदर करने एवं कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने हेतु कहा गया है। संविधान के आदर करने का अर्थ है, हम अपना स्वयं का आदर और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे है। इसी प्रकार राष्ट्र ध्वज हमारे देश की आन–बान और शान का प्रतीक है। इसके तीन रंग– केसरिया, सफेद और हरा क्रमशः बलिदान, शांति और प्रगति

के प्रतीक है और मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र धर्म की राह पर चलने का संदेश देता है। हमें इसका तहेदिल से सम्मान करना चाहिए। जो तिरंगे और राष्ट्रगान के महत्व को समझते हैं वे तो इलिट्रेट होने के बावजूद इनको पूर्ण सम्मान व आदर देते हैं। परन्तु आज हम देख रहे हैं कि गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चौराहों पर जगह–जगह कागज और प्लास्टिक के राष्ट्र ध्वज बिक रहे हैं तथा लोग इसे खरीद भी रहे हैं। परन्तु इन ध्वजों को खराब हो जाने पर इन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। यह राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं तो और क्या है? इसके अलावा यह भी देखने में आता है कि पढे लिखे लोग क्रिकेट एवं अन्य खेल देखते समय गालों पर तिरंगे बनवाते है तथा तहमद की तरह लपेटते हैं और जीतने की खुशी का इजहार इस तरह से करते है कि तिरंगा जमीन और पैरों में आ जाता है। परन्तु इसकी अहमियत की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है या वे इसके प्रति गंभीर नहीं है। जबकि किसी भी खिलाडी द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर भारतीय तिरंगे फहराते हुए राष्ट्रगान बजने पर देश का सम्मान किया जाता है। अतः हमें इस प्रवृति से बचना होगा और अन्य लोगों को भी इस हेतु जागरूक करना होगा। सिनेमा हॉल अथवा किन्हीं अन्य विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान बजने पर हमें सावधान की मुद्रा में खडे होकर इसको सम्मान देना चाहिए।

जिस प्रकार देश की आजादी से पहले हमारे महान् राष्ट्र नायकों ने भारत छोडो आन्दोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार सम्बन्धी आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने जैसे अनेकानेक आन्दोलन चलाये थे और अपने त्याग और बलिदान से देश के लोगों को समर्पण भाव से शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जिससे देश को आजादी मिली। उसी प्रकार आज हमें देश की एकता एवं अखण्डता कायम रखने के लिए आतंकवाद का मुकाबला, और भ्रष्टाचार मिटाने जैसी ज्वलंत एवं समसामयिक समस्याओं के प्रति स्वयं जागरूक रहने के साथ–साथ अधिक से अधिक अन्य लोगों को भी साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए भी प्रेरित करना होगा। यह हमारा कर्तव्य भी है और ऐसे उच्च आदर्शो की पालना आज के समय की सबसे बडी मांग है।

हमारी धरती सदैव से ही प्रकृति पर आश्रित रही है। यदि प्रकृति ही हमारे साथ नहीं रही तो धरती का अस्तित्व हीं नहीं रहेगा। इसलिए हमें संविधान की मंशा के अनुरूप हमारे प्राकृतिक स्त्रोतों यथा वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी। इनके संरक्षण के लिए हमें अत्यधिक प्रयास

करने होंगे। यदि इनका अस्तित्व नहीं रहेगा तो मानव का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रकृति से छेडछाड हमारे जीवन से खेलने के समान है।

देखा गया है कि आज मनुष्य स्वयं अपने तक ही सीमित होकर रह गया है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें स्वयं के साथ–साथ समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए भी तत्पर रहना होगा, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण समाज से, समाज का निर्माण परिवारों से तथा परिवारों का निर्माण व्यक्ति से होता है। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक की प्रत्येक कडी एक दूसरे की पूरक है।

नारी ही प्रत्येक परिवार की धुरी होती है। इसी क्रम में प्रत्येक माता ही बच्चों की प्रथम गुरू होती है। स्त्री की सामाजिक प्रबन्धन क्षमता तुलनात्मक रूप से पुरूष से अधिक होती है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। परन्तु आज भी महिलाओं के प्रति उपेक्षा एवं उत्पीडन की घटनाऐं बढ रही हैं। जबकि वह महापुरूषों की जननी है। इसलिए हमें चाहिए कि इनके संरक्षण एवं सुरक्षा के दायित्व को निभाऐं तथा इनके सम्मान के विरूद्व प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध करें और अधिक से अधिक लोगों को ऐसी प्रथाओं के परित्याग के लिए प्रेरित करें।

आज जगह–जगह धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग–विभेद के नाम पर लोग एक दूसरे के विरोधी होते जा रहे है। यह स्थिति ठीक नहीं है। यह समाज और देश के लिए अत्यन्त घातक है।

धर्म समाज का पोषण करता है। कोई भी धर्म शोषण की बात नहीं कहता है। अपनी आस्थाओं के अनुसार धर्म हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना सीखाता है। दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, धर्म इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित करता है। हमें सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाते हुए सभी धर्मो का आदर करना होगा। सम्पूर्ण देश हमारा है। यहां के सभी निवासी हमारे भाई–बंधु ही हैं। किसी भाषा विशेष अथवा क्षेत्र विशेष पर किसी एक का अधिकार नहीं है। यह बात भी हमें सच्चे मन व ईमानदारी से अपने दिल में उतारनी होगी।

अहिंसा परमोधर्म और *'वसुधैव कुटुम्बकम्'* जैसे आधारभूत सिद्वान्त हमारे देश की ही देन है। आज सम्पूर्ण विश्व हमारी इन मान्यताओं का कायल है। हमारे संविधान में भी इन्हीं सिद्वान्तों को समाहित करते हुए प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखने की बात कहीं गई है। दया धर्म का मूल है अर्थात् जहां दया

है, वहीं धर्म निवास करता है। 'अहिंसा' दया का सबसे बडा उदाहरण है। किसी भी काम को करने के लिए यह देखना जरूरी है कि उस काम से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। हिंसा मनुष्य की मानसिक विकृति को दर्शाती है। हमारे संविधान की मंशा भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति–प्राणी मात्र के प्रति दया रखे और हिंसा से दूर रहे।

सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति हमारी है। हम ही इसके निर्माता और हम ही इसके संरक्षक है। हमें ही इसे भोगना है। अतः इसकी संरक्षा के लिए हमें कृतसंकल्प रहना होगा। आज अपनी बात मनवाने के लिए आन्दोलनों के नाम पर देश की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना आम बात हो गई है। देश की सम्पत्ति के नुकसान का अर्थ है कि हम अपने आपको उतना ही अधिक पीछे धकेल रहे है। कानून बनाने मात्र से देश की सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। यह सभी की जिम्मेवारी है और इसके लिए हमें स्वंय ही जागरूक होना होगा तथा यह बात भी हमें बखूबी समझ लेनी चाहिए कि देश की सम्पत्ति का विध्वंस हमारा अपना स्वयं का विध्वसं है।

जिस प्रकार प्राचीन काल में हमारे ऋषि–मुनियों, धर्म गुरूओं, विद्वानों, आचार्यों, कवियों तथा साहित्यकारों ने सम्पूर्ण विश्व में भारत का परचम फहराया और अपनी अलौकिक शक्तियों व ज्ञान का लोहा मनवाया, उसी प्रकार आज के इस वैज्ञानिक युग में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा भी आधुनिक तकनीक और अपनी योग्यता के बल पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रगति को अग्रणी बनाया हुआ है। अतः हमें हमारे वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण, विद्वानों की मानवता और धर्मगुरूओं द्वारा चलाये जा रहे सुधारवादी विचारों का तहेदिल से आदर करना चाहिए, क्योंकि सेवा का भाव सभी के अन्दर है। बस इसे इन्कलकेट करना होगा। यही हमारे देश के संविधान की मंशा है।

भाईचारे की भावना और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी हमारे देश वासियों में प्राचीन काल से चली आ रही है। परस्पर भाईचारा, घर–परिवार व बुजुर्गो के साथ समन्वय बनाये रखना आज के समय की आवश्यकता है। यह परम्परा हमें यथावत् जारी रखनी होगी। इसे अनदेखा करना हमारे लिए घातक हो सकता है। यही हमारे संविधान की मंशा है।

हमें सकारात्मक विचार एवं बदलाव की जरूरत है। स्वार्थ की भावना से उठकर स्वयं की प्रगति एवं उन्नति के साथ–साथ समाज के कल्याणार्थ चलाई

जा रही गतिविधियों में भी हमें बढचढ कर सहभागिता निभानी होगी और सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु सामूहिक प्रयास करने होंगे। जो समय की मांग है । यही हमारे संविधान की मंशा है।

हर मां–बाप अपने बच्चों की उन्नति के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं । बच्चों को उसकी क्षमता से अधिक व अच्छी पढाई करवा कर बडा आदमी, पैसे वाला, स्टेटस वाला बनाना चाहते हैं। आज का बच्चा नोलेजेबल इन्टेलीजेंट व अच्छा आई0 क्यू0 रखने वाला है। पर उसमें मानवीय मूल्यों की अधिक जरूरत है क्योंकि कम्प्यूटर संस्कार नहीं दे सकता। संस्कार तो मां–बाप के आचरण व गुरूजनों से ही प्राप्त होते हैं। परन्तु हिप्पोक्रेसी की वजह से हम बच्चों को मौलिक शिक्षा देने से चूक रहे हैं। जिसका नतीजा आज के भौतिक युग में हम सभी देख रहे हैं। इसलिए संविधान में वर्णित कर्तव्यों के बारे में उनको बताना जरूरी है। उक्त सभी बाते हमारे संविधान के आर्टिकल–51ए में निहित है। इसलिए मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि हर मां बाप की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के आर्टिकल–51ए में वर्णित शब्दों, विचारों एवं भावों को समझे और दूसरों को भी समझाये।

हालांकि देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। लेकिन जब तक हम शिक्षा को बढावा और बेरोजगारी एवं कुरीतियों को दूर कर मानसिकता में बदलाव नहीं लायेंगे, तब तक पूर्ण विकास नहीं हो पायेगा।

हमारे देश के सभी धर्म और सम्प्रदायों के संत, आचार्य और धर्मगुरु भी आमजन को *सद्गुणों, मर्यादित जीवन* के साथ मानवीय मूल्यों पर चलने की बात *कहते हुए अच्छा नागरिक बनने की सलाह दे* रहे हैं। फिर भी यदि उनके द्वारा संविधान में निहित कर्तव्यों का बोध कराया जाये तो आमजन में इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सभी धर्मो का निचोड हमारे संविधान के आर्टिकल–51ए में है कि हम विनयशील बनें और अहिंसा के साथ परस्पर समन्वय, सुहार्य, सहिष्णुता, दया, क्षमा, पवित्रता, और नम्रता जैसे सुखद मार्ग पर चलें, जिससे सही मायने में जीवन जीने की प्रेरणा मिल सकें।

आज एक तरफ तो देश मैट्रो ट्रेन चलाने, चांद पर पहुंचने की बात कर रहा है और देश में बडी–बडी इमारते, और बडे–बडे मॉल्स बन रहे हैं, और हम देश का सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) 8/9 प्रतिशत तक ले जाने की बात कर रहे हैं और कुछ महानुभाव तो देश–विदेश के समृद्व लोगों की लिस्ट

में शुमार है और उच्च स्तर की बाते कर रहे है। दूसरी तरफ देश की 70 प्रतिशत जनता इन सभी बातों से अनभिज्ञ है। गरीब और अधिक गरीब हो रहा है और वह अपनो से ही शोषित हो रहा है। जिसको दूर किए जाने की जिम्मेदारी हम सभी की है।

आयोग के समक्ष विभिन्न प्रकार की शिकायतों के साथ–साथ इस तरह की शिकायते भी आ रही हैं कि खाद्य पदार्थों एवं दवाईयों में मिलावट हो रही है, पर्यावरण और पेड़ लगाने के नाम पर अपने मकानों के आगे अतिक्रमण किया जा रहा है, मादक पदार्थों को बढावा व जानवरों की तस्करी, महिलाओं–बच्चों एवं मानव अंगों की तस्करी की जा रही है, बुजर्गो, महिलाओं व बालकों के प्रति समन्वय में कमी आ रही है और संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही है। यह सब स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, मानवीयता के अभाव, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण है। साथ ही, बिना परिणाम के बारे में सोचे समझे कि जनता को क्या संदेश जा रहा है, सिनेमा और टी0वी0 पर विज्ञापन प्रसारित किए जाकर जनता की भावना को भुनाया जा रहा है। इन सब बातों का निराकरण स्वयं की सही एवं सकारात्मक सोच के बिना संभव नहीं है। सिर्फ सरकार व कानूनी प्रक्रिया से ही यह सब संभव नहीं है। इसलिए सरकार की दृढ इच्छाशक्ति और आम जनता को जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण क्षमता और निष्ठा के साथ करना होगा।

वैसे तो हर व्यक्ति को सभी कुछ मालूम है, परन्तु क्रियांविति की कमी है। इसलिए इस लेख के माध्यम से मेरा सादर निवेदन है कि स्वयं शुद्वि के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी बंधु, शिक्षक, धार्मिक गुरू, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता व मीडिया को समाज के पुनः निर्माण में ईमानदारी से अहम् भूमिका निभानी होगी तथा समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा। जिससे मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी। हर नागरिक की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जीवन में संकल्प ले तथा व्यवहार में नैतिकता, ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करें। हम अपने कर्तव्यों को समझे, उनकी पालना करें। जिससे उनके अन्तःकरण में परिर्वतन के साथ–साथ सकारात्मक सोच का भी प्रादुर्भाव होगा और वह देश की एकता और अखण्डता कायम रखते हुए अपने आत्मकल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

अधिकारों के प्रति जागरूक रहो– कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो।

---

* अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग (पूर्व मुख्य न्यायाधिपति मद्रास एवं कर्नाटक हाईकोर्ट)